न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 604 / 2023

अनवान : –

1. दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारेआम संजीव गौड़ पुत्र भगवानदत जाति ब्राहमण निवासी निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 01/01/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–ए तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 61 / 58 के प0न0 308 / 438 मु0न0 59 के किला न0 7, 8, 12, 13, 14 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 25 / 1 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25 / 2 की 0.2020 हैक्ट, 25 / 3 की 0.026 हैक्ट गैर मु0 खाला एवं प0न0 308 / 349 के मु0न0 63 के किला न0 5 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 309 / 439 के मु0न0 60 के किला न0 20 / 1 की 0.038 हैक्ट गै0मु0 खाला, 20 / 2 की 0.1075 हैक्ट, 20 / 3 की 0.1075 हैक्ट, 21 की 0.2530 हैक्ट कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है।

रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर प0न0 308 / 438(5) के किला न0 25 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प0न0 308 / 438(59) के किला न0 25 / 1 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला व 25 / 3 की 0.026 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है प0न0 309 / 438 (60) के किला न0 20 / 1 में कोई खाला नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प0न0 309 / 438(60)के किला न0 20 / 1 की 0.038 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है। उक्त वाद भूमि में गै0मु0 खाला दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। नियमानुसार खाला की भूमि खातेदार की होती है अब वर्तमान में नई स्कीम में इस किले में कोई खाला नही है तथा ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ही कोई खाला की आवश्यकता है। इसलिए रिकार्ड में गै0मु0 खाला दुरूस्त करवाकर उक्त वाद भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाया दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स0 1 अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया।

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 1 एनएचआर–ए सम्वत् 2075–2078 खाता स0 61/58, चित्रप्रति रजिस्टर्ड बैयनामा व साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 1 एनएचआरए के खाता संख्या 61/58 के प0न0 308/438(59) के किला न0 25/1 व 25/3 व प0न0 309/438(60) के किला न0 20/1 में कोई खाला नही है इसलिए किला न0 25/1 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला व 25/3 की 0.026 हैक्ट गै0मु0 खाला को मुमकिन किया जाकर खाता में 25 में शामिल कर किला न0 25 की 0.253 हैक्ट भूमि नहरी मुमकिन दर्ज की जावे व प0न0 309/439 (60) के किला न0 20/1 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 20 में शामिल कर किला न0 20 की 0.253 हैक्ट भूमी नहरी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त वाद भूमि वादी की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की हुई है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी, पुरानी जमाबंदी, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा, मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 1 एनएचआरए के खाता संख्या 61/58 के प0न0 308/438(59) के किला न0 25/1 व 25/3 व प0न0 309/438(60) के किला न0 20/1 में कोई खाला नही है इसलिए किला न0 25/1 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला व 25/3 की 0.026 हैक्ट गै0मु0 खाला को मुमकिन किया जाकर किला में 25 में शामिल कर किला न0 25 की 0.253 हैक्ट भूमि नहरी मुमकिन दर्ज की जावे व प0न0 309/439 (60) के किला न0 20/1 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 20 में शामिल कर किला न0 20 की 0.253 हैक्ट भूमी नहरी मुमकिन वादी के नाम दर्ज करने हेतु वाद पेश किया है। हमारे द्वारा जल संसाधन विभाग भादरा से खाला के संबंध में रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जाकर रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट चक 1 एनएचआर–ए के प0 न0 308/438 मु0न0 59 के किला न0 25, प0न0 309/438 मु0न0 60 के किला न0 20 में स्वीकृत चक स्कीम के अनुसार किसी भी प्रकार का खाला नही होना स्वीकार किया गया है। तहसीलदार (राजस्व) नोहर से भी मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार (राजस्व) नोहर के पत्रांक 762 दिनांक 20.1[illegible].2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि वर्तमान में मौके पर चक 1 एनएचआर–ए के प0 न0 308/438 मु0न0 59 के किला न0 25, प0न0 309/438 मु0न0 60 के किला न0 20/1 में खाला की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कच्चा/पक्का खाला नही है। उक्त भूमि को गै0मू0 खाला से मुमकिन किया जाना उचित बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा के मुताबिक उक्त समस्त वाद भूमि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है। गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा से साबित है कि उक्त वाद भूमि वादी की जरिये बैयनामा खरीद की गई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–ए तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 61/58 के प0न0 308/438(59) के किला न0 25/1 की 0.025 हैक्ट व 25/3 की 0.026 हैक्ट भूमि में गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन जाकर किला न0 25 की 0.253 हैक्ट भूमि नहरी तथा प0न0 309/438(60) किला न0 20/1 की 0.038 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 20 में शामिल कर किला न0 20 की 0.253 हैक्ट बारानी भूमी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम मुमकिन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 604/2023

अनवान : –

1. दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्त्यारेआम संजीव गौड़ पुत्र भगवानदत जाति ब्राहमण निवासी निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 604 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा व वकील प्रतिवादी पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–ए तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 61/58 के प0न0 308/438(59) के किला न0 25/1 की 0.025 हैक्ट व 25/3 की 0.026 हैक्ट भूमि में गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन जाकर किला न0 25 की 0.253 हैक्ट भूमि नहरी तथा प0न0 309/438(60) किला न0 20/1 की 0.038 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर किला न0 20 में शामिल कर किला न0 20 की 0.253 हैक्ट बारानी भूमी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम मुमकिन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested